

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1464]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 10, 2016/ज्येष्ठ 20, 1938

No. 1464]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 10, 2016/JYAISTHA 20, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2016

का.आ. 2068(अ).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड (3) के साथ पठित खंड (1) के उप खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राष्ट्रपति, नामित सदस्य की रिक्ति को भरने के लिए, राज्य सभा में निम्नलिखित सदस्य को नामित करते हैं—

श्री संभाजीराजे छत्रपति

[फा. सं. 15/2/2012-एम एंड जी]

दिलीप कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2016

S.O. 2068(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (a) of clause (1) of article 80 of the Constitution of India, read with clause (3) of that article, the President is pleased to nominate to the Council of States the following person to fill the vacancy of nominated member:—

Shri Sambhajiraje Chhatrapati

[F. No. 15/2/2012-M&G]

DILIP KUMAR, Jt. Secy.